अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग
GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3158,87,00		3223,13,00	2431,64,67	-791,48,33
पूरक	Supplementary	64,26,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					791,46,93
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1,19,00		1,20,00	79,76	-40,24
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					39,22

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹79148.33 लाख) दिसंबर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त ₹6426.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹79148.33 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹6426.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	6150.00		..	..	..
पु.	R.	-6150.00				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"					
उद्योग	Industries					
मू.	O.	307700.00				
पू.	S.	6426.00		241332.83	241332.49	-0.34
पु.	R.	-72793.17				

(I) पाँच शीर्षों के अंतर्गत ₹6150.25 लाख का प्रावधान (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹5520.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "रसायन और औषध उद्योग – दवा और औषधि" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:

(I) Provision of ₹6150.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹5520.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Chemical and Pharmaceuticals Industries - Drug and Pharmaceutical" - under the following heads: -

(का) "राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन. आई. पी. ई. आर.)" – ₹4370.00 लाख; और

(A) "National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)" - ₹4370.00 lakhs; and

(खा) "जन औषधि योजना" – ₹1150.00 लाख।

(B) "Jan Aushadhi Scheme" - ₹1150.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का आंशिक भाग पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2852” – “रसायन और औषध उद्योग” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “दवायें और औषधियां” –

(क) “औषधि उद्योग का विकास” – ₹122025.88 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹125000.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त होने में देरी होने, औषधि विभाग और एल. एस. एस. एस. डी. सी. के बीच माडल आचार संहिता लागू होने के कारण समझौता ज्ञापन संपन्न नहीं होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने, कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण बडा ग्रीन फ़ील्ड थोक औषधि पार्क सृजित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय औषध शिक्षण और अनुसंधान” – ₹23850.00 लाख की बचत (₹43700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– राष्ट्रीय औषध शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एन. आई. पी. ई. आर.)” – ₹2235.00 लाख की बचत (₹4150.0 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईः और

(गा) “जनजातीय क्षेत उप योजना – राष्ट्रीय औषध शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एन. आई. पी ई. आर.)” – ₹1035.00 लाख की बचत (₹2150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2852” - “Chemical and Pharmaceutical Industries” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Drugs and Pharmaceuticals” -

(a) “Development of Pharmaceuticals Industry” - saving of ₹122025.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹125000.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to non-creation of Large Green Field Bulk Drug Park owing to delay in receipt of environmental clearance, non-execution of MOU between DOP & LSSSDC owing to implementation of model Code of Conduct, non-receipt of utilization certificates, slow progress of work by the implementing agencies, receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “National Institute of Pharmaceutical Education and Research” - saving of ₹23850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43700.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)” - saving of ₹2235.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4150.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)” - saving of ₹1035.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2150.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹76085.12 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए उपयोग कर ली गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष “2852” – “रसायन और औषध उद्योग” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹6426.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :

2.(I) The above savings were partly (₹76085.12 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹6426.00 lakhs under Major Head “2852” - “Chemical and Pharmaceutical Industries” - under the following heads: -

(का) “उद्योगों को सहायता – उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना” – ₹40441.37 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹40441.36 लाख हुआ।

(A) “Assistance to Industries - Production Linked Incentive Schemes” - ₹40441.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹40441.36 lakhs.

(खा) “दवा और औषधि – देय राशियों को निपटाने के लिए बजटीय सहायता” – ₹35643.75 लाख।

(B) “Drugs and Pharmaceuticals - Budgetary support for settlement of dues” - ₹35643.75 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2852” – “रसायन और औषधि उद्योग – दवा और औषधियां – जन औषधि योजना” के अंतर्गत – उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों के मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण ₹714.00 लाख रुपए के अधिक व्यय (₹8900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2852” - “Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals - Jan Aushadhi Scheme” - excess of ₹714.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8900.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में ₹7.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹7.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under seven heads.